

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीपद.....

1. अधिकारी के विरुद्ध CCA (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 16 व 17 के तहत कोई विभागीय जांच/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तापित नहीं है तथा पूर्व में अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया है। (इसके विपरीत स्थिति में पूर्ण विवरण अंकित करें)
2. पिछले 7 वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही हैं तथा इनकी सेवाएँ सन्तोषजनक हैं।
3. पूर्व में पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है।
4. इनके विरुद्ध पूर्व में अधिक भुगतान की कोई बसूली बकाया नहीं है।
5. ACP प्रस्तापित तिथि तक की सेवाएँ सेवा पुस्तिका में निरन्तर प्रमाणित हैं।
6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना- DOP/A-II/95 दिनांक 20.06.2001, 23.7.2003 तथा 13.08.2004 के तहत 01.06.2002 या इसके पश्चात् दो से अधिक संतान न हाने के संबन्ध में सपथ पत्र अधिकारी से प्राप्त कर लिया है व प्रकरण के साथ संलग्न है।
7. आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की जांच सेवा पुस्तिका एवं विभागीय अभिलेखों से कर ली गई है, दिये गये तथ्य अभिलेखों के अनुरूप हैं। ACP स्वीकृत करने की अनुपंशा की जाती है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुपंशा

श्री/श्रीमती/सुश्रीपद.....के प्रकरण की जांच ACP नियमों के अनुसार कर ली गई है तथा आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 13 पर प्रस्तापित तिथि से ACP स्वीकृत करने की अनुपंशा की जाती है।

सहायक लेखाधिकारी

नियंत्रण अधिकारी

कार्यालय
ए.सी. पी. हेतु सेवा पुस्तिका के आधार पर तैयार स्वीकृति विवरण प्रपत्र

क्र.सं.	नाम मय पद एवं कार्यरत स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक	नियुक्ति का प्रकार	नियमित नियुक्ति का दिनांक 29.06.09 एवं भर्ती नियमों के तहत	प्रथम नियुक्ति के पश्चात सीधी भर्ती से कार्यग्रहण दिनांक व पद	पदोन्नति मय पद व कार्यग्रहण दिनांक/ पदोन्नति परित्याग किया है तो विवरण	विभागीय जॉच/ शारिस्त का विवरण व निर्णय दिनांक	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 से पूर्व स्वीकृत चयनित वेतनमान एवं ए.सी.पी. का विवरण	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 लेने की दिनांक ग्रेड पे व पे बैंड	देय ए.सी.पी. 09.18.27 / 10.20.30 वर्ष की सेवा के अनुसार	देय ग्रेड पे व पे बैंड	देय दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष